

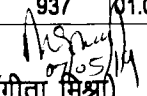
पी० पी० ओ० पुनरीक्षण विवरण

क्रम सं०	नाम	पदनाम	कोषागार	पत्रावली सं०	पी०पी०ओ० डिस्पैच सं० एवं दिनांक		कोषागार को प्रेषित पत्र सं० एवं दिनांक	
					संख्या	दिनांक	संख्या	दिनांक
1	श्री चन्दन सिंह	सहायक अभियन्ता	अलीगढ़	10244	971	26.04.2019	821	27.04.2019
2	अदालत चौधरी	उप महाप्रबन्धक	गोरखपुर	10319	973	26.04.2019	822	27.04.2019
3	शबिया पत्नी स्व० मो० हाशिम	लेखाकार	बहराइच	9052	974	26.04.2019	823	27.04.2019
4	बिशन लाल	अधिशाली अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	9051	975	26.04.2019	824	27.04.2019
5	अनिता भटनागर पत्नी स्व० प्रेम सरन लाल भटनागर	मुख्य अभियन्ता	लखनऊ	10133	976	26.04.2019	825	27.04.2019
6	निर्मला देवी पत्नी स्व० जगन्नाथ	चपरासी	लखनऊ	10359	977	26.04.2019	826	27.04.2019
7	राम नारायण	सहायक अभियन्ता	सहारनपुर	10129	978	26.04.2019	827	27.04.2019
8	रमा शंकर पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	वाराणसी	9144	979	26.04.2019	828	27.04.2019
9	सावित्री देवी पत्नी स्व० मूलचन्द्र	सहायक अभियन्ता	गजियाबाद	9116	980	26.04.2019	829	27.04.2019
10	प्रेम सिंह खरंगर	सहायक अभियन्ता	शमली	9137	981	26.04.2019	830	27.04.2019
11	मंजू श्रीवास्तव पत्नी स्व० सत्य प्रकाश श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	प्रयागराज	6850	982	26.04.2019	831	27.04.2019
12	श्री चन्दन लाल	अधिशाली अभियन्ता	कानपुर	10245	983	26.04.2019	832	27.04.2019
13	श्रीमती राजेश कुमारी पत्नी स्व० अशोक कुमार	महाप्रबन्धक	बरेली	10246	984	26.04.2019	833	27.04.2019
14	श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी स्व० सन्त देव सिंह	मुख्य महाप्रबन्धक	वाराणसी	10562	985	26.04.2019	834	27.04.2019
15	श्रीमती उमा शर्मा पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	लेखाकार	अलीगढ़	10397	987	26.04.2019	836	27.04.2019
16	श्रीमती सीता गुप्ता पत्नी स्व० सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	सहायक अभियन्ता	देवरिया	8959	988	26.04.2019	837	27.04.2019
17	ओम वीर सिंह	अधिशाली अभियन्ता	गौतमबुद्धनगर	10335	993	27.04.2019	838	29.04.2019
18	शम्भू नाथ सिंह	सहायक अभियन्ता	गोरखपुर	10367	994	27.04.2019	839	29.04.2019
19	राजेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता	सम्भल	10374	995	27.04.2019	840	29.04.2019
20	चेतन प्रकाश शर्मा	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	10370	996	27.04.2019	841	29.04.2019
21	श्री मर्सरत हुसैन	लेखाकार	सम्भल	13482	997	27.04.2019	842	29.04.2019
22	दिनेश कुमार चतुर्वेदी	वरिष्ठ कार्मिक अभियन्ता	मेरठ	13045	998	27.04.2019	843	29.04.2019

23	मंजू तिवारी पत्नी स्व० हरीश चन्द्र तिवारी	निजी सचिव	लखनऊ	6827	999	27.04.2019	844	29.04.2019
24	इन्दु बाला श्रीवास्तव पत्नी स्व० विजय कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	प्रयागराज	10462	1000	27.04.2019	845	29.04.2019
25	नरेश कुमार	अधिकांश अभियन्ता	गाजियाबाद	10460	1001	27.04.2019	846	29.04.2019
26	मुशतर जहाँ पत्नी स्व० मो० यासीन	प्रशासनिक अधिकारी	लखनऊ	10442	1002	27.04.2019	847	29.04.2019
27	सुप्रिया चटर्जी	प्रशासनिक अधिकारी	लखनऊ	10458	1003	27.04.2019	848	29.04.2019
28	विमला मिश्रा पत्नी स्व० गिरीश चन्द्र मिश्रा	सहायक अभियन्ता	वाराणसी	10440	1004	27.04.2019	849	29.04.2019
29	रियासत अली	सहायक अभियन्ता	बरेली	10434	1005	27.04.2019	850	29.04.2019
30	युगल किशोर सिंह	महाप्रबन्धक	वाराणसी	10428	1006	27.04.2019	851	29.04.2019
31	पंकज शाह	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	6090	1007	27.04.2019	852	29.04.2019
32	राधा बल्लभ चौबे	लेखाकार	आगरा	10379	1008	27.04.2019	853	29.04.2019
33	स्वतंत्र भारत भूषण	सहायक अभियन्ता	बिजनौर	10366	1009	27.04.2019	854	29.04.2019
34	कैलाश पति पत्नी स्व० राज देव यादव	अनुसचिव	लखनऊ	10365	1010	27.04.2019	855	29.04.2019
35	रामावती पत्नी स्व० केदार नाथ	समीक्षा अधिकारी	लखनऊ	9141	1011	27.04.2019	856	29.04.2019
36	कु० सरवत जमाल पुत्री स्व० मौ० अकबर खान	सहायक अभियन्ता	बुलन्दशहर	8987	1012	27.04.2019	857	29.04.2019
37	श्री सत्य प्रकाश बसंत	सहायक अभियन्ता	सहारनपुर	10400	1013	27.04.2019	858	29.04.2019
38	श्री राजकुमार शर्मा	मुख्य अभियन्ता	गाजियाबाद	13657	1015	27.04.2019	860	29.04.2019
39	श्री राम सिंह कादियान	उपमहाप्रबन्धक	नोएडा	9977	1016	27.04.2019	861	29.04.2019
40	हसीब अहमद	सहायक अभियन्ता	लखनऊ	13663	1017	27.04.2019	862	29.04.2019
41	श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी स्व० देवेन्द्र सिंह	उपमहाप्रबन्धक	प्रयागराज	10394	1018	27.04.2019	863	29.04.2019
42	श्री अशरफ हुसैन	अधिकांश अभियन्ता	लखनऊ	10401	1019	27.04.2019	864	29.04.2019
43	श्री प्यारा राम माही	अधीक्षण अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	10385	1020	27.04.2019	865	29.04.2019
44	श्री बुला बोस	प्रशासनिक अधिकारी	लखनऊ	10392	1021	27.04.2019	866	29.04.2019
45	श्रीमती विजय कुमारी पत्नी स्व० अमर सिंह	उपमहाप्रबन्धक	मथुरा	10387	1022	27.04.2019	867	29.04.2019
46	श्रीमती शान्ती सिंह पत्नी स्व० चतुरी सिंह	सहायक अभियन्ता	वाराणसी	10413	1023	27.04.2019	868	29.04.2019
47	श्री प्यारे लाल	हेड जमादार	लखनऊ	7405	1035	27.04.2019	870	29.04.2019
48	श्री अशोक चन्द्रा	अधिकांश अभियन्ता	गाजियाबाद	11993	1045	27.04.2019	872	29.04.2019
49	कृष्ण मुरारी लाल	सहायक लेखाधिकारी	गोरखपुर	13575	1048	27.04.2019	875	29.04.2019
50	श्री रविन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता	बरेली	9101	1053	29.04.2019	877	30.04.2019
51	श्रीमती अशा शर्मा पत्नी स्व० चन्द्र मोहन शर्मा	सहायक लेखाकार	लखनऊ	6887	1054	29.04.2019	878	30.04.2019

52	श्री उमाकान्त पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	सुल्तानपुर	9107	1055	29.04.2019	879	30.04.2019
53	श्रीमती सविता शर्मा पत्नी स्व० सुधीर कुमार शर्मा	मुख्य महाप्रबन्धक	वाराणसी	10471	1056	29.04.2019	880	30.04.2019
54	श्रीमती कमला चौबे पत्नी स्व० सच्चिदानन्द चौबे	सहायक अभियन्ता	सोनभद्र	10476	1057	29.04.2019	881	30.04.2019
55	श्री अमर नाथ सिंह	अधीक्षण अभिन्यता	वाराणसी।	4436	1058	29.04.2019	882	30.04.2019
56	कु० मुमताज जहाँ पुत्री स्व० मोहम्मद शब्बीर	लेखाधिकारी	लखनऊ	10422	1059	29.04.2019	883	30.04.2019
57	श्रीमती श्यामा सिंह पत्नी स्व० ए.पी.सिंह	अधिकासी अभियन्ता	वाराणसी	6618	1060	29.04.2019	884	30.04.2019
58	श्रीमती तेजरानी पत्नी स्व० हरिश्चन्द्र	सहायक समीक्षा अधिकारी	लखनऊ	9846	1061	29.04.2019	885	30.04.2019
59	श्रीमती राज कुमारी लोधी पत्नी स्व० हरी लाल	सहायक अभियन्ता	फतेहपुर	10403	1062	29.04.2019	886	30.04.2019
60	एन० लक्ष्मी राजयम पत्नी स्व० नालाबाती राजेश्वर राव	अधिकासी अभियन्ता	लखनऊ	10431	1063	29.04.2019	887	30.04.2019
61	विपिन कुमार	अधिकासी अभियन्ता	गाजियाबाद	9099	1064	29.04.2019	888	30.04.2019
62	सतीश चन्द्र जैन	महाप्रबन्धक	मुजफ्फरनगर	9347	1065	29.04.2019	889	30.04.2019
63	निबुल राम सोनकर	मुख्य महाप्रबन्धक	लखनऊ	10487	1067	29.04.2019	891	30.04.2019
64	रघुनन्दन स्वरूप अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	10497	1068	29.04.2019	892	30.04.2019
65	राजकुमार चतुर्वेदी	लेखाकार	कानपुर	11466	1069	29.04.2019	893	30.04.2019
66	जितेन्द्र प्रकाश अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	बरेली	9844	1070	29.04.2019	894	30.04.2019
67	ज्योति स्वरूप सक्सेना	उपमहाप्रबन्धक	कानपुर	9843	1071	29.04.2019	895	30.04.2019
68	फूलचन्द्र सिंह यादव	कार्यालय सहायक-द्वितीय	लखनऊ	9838	1072	29.04.2019	896	30.04.2019
69	श्री राम दशरथ पाठक	उपमहाप्रबन्धक	प्रयागराज	10424	1073	29.04.2019	897	30.04.2019
70	श्रीमती दुलारी देवी पत्नी स्व० शिवनाथ	चपरासी	लखनऊ	10781	1077	30.04.2019	899	01.05.2019
71	श्री ईश्वर दत्त वर्मा	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	8199	1080	30.04.2019	900	01.05.2019
72	श्री जगदीश प्रसाद सिंह	सहायक अभियन्ता	प्रयागराज	10452	1081	30.04.2019	901	01.05.2019
73	श्री दीपांकर सूर	अधिकासी अभियन्ता,	लखनऊ	10418	1082	30.04.2019	902	01.05.2019
74	गंगोत्री सिंह पत्नी स्व० फतेह बहादुर सिंह	उपमहाप्रबन्धक	गोण्डा	10484	1084	30.04.2019	903	01.05.2019
75	सायरा बेगम पत्नी स्व० अंसार अहमद	अधिकासी अभियन्ता	लखनऊ	6657	1085	30.04.2019	904	01.05.2019
76	मो० अबुजर पुत्र स्व० मो० अकरम अंसारी	सहायक अभियन्ता	मऊनाथ मंजन	9836	1086	30.04.2019	905	01.05.2019
77	शान्ती शरण सिंह	सहायक अभियन्ता	प्रयागराज	9825	1089	30.04.2019	908	01.05.2019
78	आशा तिवारी पत्नी स्व० नरेश चन्द्र तिवारी	लेखाकार	फिरोजाबाद	9848	1090	30.04.2019	909	01.05.2019

79	कृष्ण कुमार गर्ग	उपमहाप्रबन्धक	आगरा	9849	1091	30.04.2019	910	01.05.2019
80	ज्ञान सिंह	सहायक अभियन्ता	अलीगढ़	9850	1092	30.04.2019	911	01.05.2019
81	राजेन्द्र कुमार वैश्य	सहायक अभियन्ता	शाहजहाँपुर	9824	1093	30.04.2019	912	01.05.2019
82	कामिनी श्रीवास्तव पत्नी स्व० वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	वैयक्तिक सहायक	लखनऊ	9822	1094	30.04.2019	913	01.05.2019
83	हरिनारायण राय	लेखाकार	बलिया	9833	1095	30.04.2019	914	01.05.2019
84	लाल गिरीश प्रताप सिंह	उपमहाप्रबन्धक	लखनऊ	9819	1096	30.04.2019	915	01.05.2019
85	सुमद्रा देवी पत्नी स्व० अमरीक सिंह	सहायक अभियन्ता	अयोध्या	9815	1097	30.04.2019	916	01.05.2019
86	खलील उद्दीन कुरेशी	मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय	लखनऊ	13183	1098	30.04.2019	917	01.05.2019
87	श्री भगत सिंह राजपुत	सहायक अभियन्ता	मथुरा	9857	1103	30.04.2019	920	01.05.2019
88	श्री राम प्रसाद-तृतीय	चपरासी	लखनऊ	10439	1104	30.04.2019	921	01.05.2019
89	श्री नाहर सिंह	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	9855	1105	30.04.2019	922	01.05.2019
90	श्री राज कुमार सिंह	अधिशाली अभियन्ता	लखनऊ	9863	1106	30.04.2019	923	01.05.2019
91	श्री राजेन्द्र पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	बिजनौर	9978	1107	30.04.2019	924	01.05.2019
92	श्री रणविजय सिंह	लेखाकार	सुलतानपुर	7094	1108	30.04.2019	925	01.05.2019
93	श्रीमती मीरा गुप्ता पत्नी स्व० नेमी चन्द्र गुप्ता	अधिशाली अभियन्ता	आगरा	9980	1109	30.04.2019	926	01.05.2019
94	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० राम लाल	उप महाप्रबन्धक	लखनऊ	9990	1110	30.04.2019	927	01.05.2019
95	श्री हरि शरण	सहायक अभियन्ता	सुलतानपुर	9998	1111	30.04.2019	928	01.05.2019
96	श्री लाल जी	सहायक अभियन्ता	वाराणसी	9909	1112	30.04.2019	929	01.05.2019
97	श्रीमती कमला गुप्ता पत्नी स्व० जे०पी० गुप्ता	सहायक अभियन्ता	प्रयागराज	9908	1113	30.04.2019	930	01.05.2019
98	श्री तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	अधिशाली अभियन्ता	कानपुर	8674	1114	30.04.2019	931	01.05.2019
99	श्री कैलाश नाथ गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी	लखनऊ	9932	1116	30.04.2019	933	01.05.2019
100	श्री श्याम सुन्दर गुप्ता	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	9937	1117	30.04.2019	934	01.05.2019
101	श्री इम्तियाज अहमद खाँ	सहायक लेखाधिकारी	लखनऊ	9920	1118	30.04.2019	935	01.05.2019
102	श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी स्व० द्वारिका प्रसाद	अधिशाली अभियन्ता	बाराबंकी	9913	1119	30.04.2019	936	01.05.2019
103	श्री कृष्ण मोहन गुप्ता	अधिशाली अभियन्ता	प्रयागराज	9914	1120	30.04.2019	937	01.05.2019


 (गीता मिश्रा)
 लेखाधिकारी (पेन्शन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 971 10244 2004-2005 उपग्रो/ दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी,
अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्दन सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3041	दिनांक 11-03-2005
(ग)	जन्मतिथि		22-12-1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राजकुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		24-07-1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-12-2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)/16400-20000
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 971 10244 2004-2005 उपग्रो/ दिनांक-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री अलीगढ़

2. श्री चन्दन सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता:- 370, इंजिनियर कालोनी सीनीयर सेक्रेण्डरी स्कूल, इंजिनियर कालोनी कुआर्सी बाई पास रोड अलीगढ़।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 821 दिनांक 27.04.2019 के साक्ष्य सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपाठकालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

बिमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो सहायक अभियन्ता

शक्ति भवन

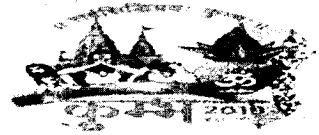


उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

973

10319

2004-2005

उ०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अदालत चौधरी

सेवानिवृत्त

उप

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महाप्रबन्धक

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4660	दिनांक 13.11.2009
(ग)	जन्मतिथि		30.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उषा चौधरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे-10000
(घ)	वेतन	₹	22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5320
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22030
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		56 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख)	निर्धारित वेतन	₹	162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	68855
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5320
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66780
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

973

10319

2004-2005

उ०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर गोरखपुर।

2. श्री अदालत चौधरी, सेवानिवृत्त उप महाप्रबन्धक, पता-72, क्यू नथमलपुर, गोरखनाथ, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक 822 दिनांक-27.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

974

9052

2001-2002 उ०म०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

बहराइच।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शबिया पत्नी स्व० मो० हाशिम सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1775 दिनांक 04.04.2002
(ग)	जन्मतिथि	30.12.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शबिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.04.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2001/13.04.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड-पे-5400
(घ)	वेतन	₹ 12125
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8223
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	-
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 73200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 36600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 21960
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

974

9052

2001-2002 उ०म०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बहराइच।

2. श्रीमती शबिया पत्नी स्व० मो० हाशिम, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-926, नाजिरपुरा (पूर्वी) लखनऊ रोड, बहराइच।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बहराइच को प्रेषित पत्रांक 823 दिनांक-27.04.2019 के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

975

9051

2001-2002

उ०म०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बिशन लाल

सेवानिवृत्त

अधिकासी

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2052 दिनांक 08.11.2002

(ग) जन्मतिथि

01.03.1944

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती दर्शन रानी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.08.1954

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

28.02.2002

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड-पे-10000

(घ) वेतन

21400

(ङ) मूल पेंशन

25279

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

3697

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

21582

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

61 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

153000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

76500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

70705

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

72100

(ग)(I) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

72100

(ङ) राशिकृत पेंशन

3697

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

68403/- दि० 07.02.2018 तक तदुपरान्त 72100/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

43260

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

975

9051

2001-2002

उ०म०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर।

2. श्री बिशन लाल, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-175, नार्थ, गाँधी कालोनी, पचैडा रोड, मुजफ्फरनगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुजफ्फरनगर को प्रेषित पत्रांक 824 दिनांक-27.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पाठका०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

976

10133

2004-2005

उ०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अनिला भटनागर पत्नी स्व० प्रेम सेवानिवृत्त मुख्य का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
सरन लाल भटनागर अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2917 दिनांक 09.12.2004

(ग) जन्मतिथि

06.07.1946

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती अनिला भटनागर

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

05.10.1950

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2004 / 28.01.2010

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

21350-23975 / 63000-78000

(घ) वेतन

₹

22925

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

18900

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

15 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

181800

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

90900

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

54540

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

976

10133

2004-2005

उ०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्रीमती अनिला भटनागर पत्नी स्व० प्रेम सरन लाल भटनागर, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-म०नं०-2/252, विशाल खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 825 दिनांक-27.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

977

10359

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० जगन्नाथ सेवानिवृत्त चपरासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3191 दिनांक 02.08.2005

(ग) जन्मतिथि

अकिंत नहीं

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती निर्मला देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

17.11.1951

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

10.12.2003

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

5300-8600 / 9300-34800 ग्रेड-पे-4200

(घ) वेतन

₹

6500

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

4407

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

54 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

06 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

42600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

21300

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

12780

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

977

10359

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० जगन्नाथ, सेवानिवृत्त चपरासी, पता-1-113, विद्युत कालोनी, लखनऊ-226023

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 826 दिनांक-27.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

978

10129

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम नारायण

सेवानिवृत्त

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

978

10129

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।

2. श्री राम नारायण, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-आर०के० पुरम कालोनी, न्यू बिलकाना बस स्टैण्ड, सहारनपुर-247001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर को प्रेषित पत्रांक 827 दिनांक-27.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

979

9144

2002-2003

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमा शंकर पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1933 दिनांक	13.08.2002
(ग)	जन्मतिथि		17.01.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹	20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	66510/-दि० 12.11.2017 तक तदुपरान्त 69550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

979

9144

2002-2003

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
2. श्री रमा शंकर पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-460 बी०डी०एल० डब्ल्यू, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 828 दिनांक-27.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

980

9116

2001-2002

उ०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० मूलचन्द्र सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

पारिवारिक पेंशन	1981	दिनांक	13.09.2002	अंकित नहीं
(क) पेंशन का प्रकार				श्रीमती सावित्री देवी
(ख) पी०पी०ओ० संख्या				10.12.1950
(ग) जन्मतिथि				30.06.2002 / 11.11.2007
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम				पांचवा वेतनमान
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				
(ख) तत्समय लागू वेतनमान				
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			10650-15200 / 15600-39100 ग्रेड-पे-6600	
(घ) वेतन		₹		15200
(ङ) मूल पेंशन		₹		लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		10305
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा				
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			11 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन		₹		91100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		45550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹		लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		27330
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

980

9116

2001-2002

उ०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिरासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व० मूलचन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी-327, निथर बाके बिहारी मन्दिर लोहिया नगर, गाजियाबाद-201001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 829 दिनांक-27.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

981

9137

2002-2003

उ०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
शामली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम सिंह खरंगर

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1963 दिनांक 31.08.2002	
(ग)	जन्मतिथि		07.05.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कृष्णा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड-पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66510/- दि० 24.09.2017 तक तदुपरान्त 69550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

981

9137

2002-2003

उ०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, शामली।
2. श्री प्रेम सिंह खरंगर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-894, सेक्टर-9, अर्बन इस्टेट, करनाल-132001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार शामिल। को प्रेषित पत्रांक 830 दिनांक-27.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

982

6850

1992-1993

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मंजू श्रीवास्तव पत्नी स्व० सत्य सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
प्रकाश श्रीवास्तव अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9029 दिनांक 26.09.1992
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.11.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.1991 / 25.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	2600-4000 / 15600-39100 ग्रेड-पे-5400
(घ)	वेतन	₹ 3750
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4380
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	59 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(क)	निर्धारित वेतन	₹ 71100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 21330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

982

6850

1992-1993

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

2. श्रीमती मंजू श्रीवास्तव पत्नी स्व० सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-23/47/81, किदवई नगर, नियर साकेत हास्पिटल अल्लापुर, इलाहाबाद-211006
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 831 दिनांक-27.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें। (इलाहाबाद)

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

26/04/19
गोता मिश्रा

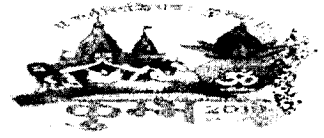
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

983

10245

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्दन लाल

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशन का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्यापक उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

983

10245

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्दनगर, कानपुर

2. श्री चन्दन लाल, अधिशाली अभियन्ता (सेवानिवृत्त), पता 132/737 मुन्शी पुरवा, पो० मुशी पुरवा, कानपुर-208023

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक 832 दिनांक 27.04.2019 के साथ सम्पन्न

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र० कानपुर

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

984

10246

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राजेश कुमारी पत्नी स्व० अशोक सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4715 दिनांक 19.12.2009
(ग)	जन्मतिथि	21.02.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजेश कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2005 / 30.04.2016
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400
(घ)	वेतन	₹ 23900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	अप्रयोज्य

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,72,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 53660
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

984

10246

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली

2 श्रीमती राजेश कुमारी पत्नी स्व० अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता 268/16, बिहारीपुर कालोनी, सिविल लाइन्स, बरेली

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

बरेली

को प्रेषित पत्रांक 833 दिनांक 27.04.2019 के सम्बन्ध में

3

अधिकांशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शांति भवन, लखनऊ।

बिमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

राजेश ५२२, २४/४/१६



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

985

10562

05-06

उ०म०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी स्व० सन्त देव सिंह सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3394 दिनांक 24.01.2016
(ग)	जन्मतिथि	10.10.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.08.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2005/29.03.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	21350-23975
(घ)	वेतन	₹ 23450
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निधारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,87,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56190
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

985

10562

05-06

उ०म०प्र०/

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी
- श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी स्व० सन्त देव सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता से-17/128, प्लॉट नं० 22, गनपत नगर कालोनी, पटना, वाराणसी

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 834 दिनांक 27.04.2019 के साथ सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

बिमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं0

987

10397

05-06

उ0म0प्र0 /

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती उमा शर्मा पत्नी स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी0पी0ओ0 संख्या

3820

दिनांक

13.04.2012

(ग) जन्मतिथि

15.06.1947

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती उमा शर्मा

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

04.01.1953

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.2005 / 22.02.2006

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पॉचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

14300-400-18300 / 37400-67000 ग्रेड पे 8700

(घ) वेतन

₹

17100

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(व) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

13830

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

62 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)

12 तालिका नं0

(ख) निर्धारित वेतन

₹

13,0600 = w

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(व) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

39180

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

987

10397

05-06

उ0म0प्र0 /

दिनांक-26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0, लाल डिग्री, अलीगढ़

2 श्रीमती उमा शर्मा पत्नी स्व0 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, लेखाकार सेवानिवृत्त/दिवंगत, पता द्वारा श्री आर0एन0 मंगल, डा0 मनोज शुक्ला वाली गली, 2/22 राम नगर, राम घाट रोड, अलीगढ़

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

अलीगढ़

को प्रेषित पत्रांक 836 दिनांक 27.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शांति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शांति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN 1032201UP 1999SGC024928



पत्र सं०

988

8959

2001-2002

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.04.2019

कोषाधिकारी,
देवरिया

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सीता गुप्ता पत्नी स्व० सुरेन्द्र प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारि० पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1932	दिनांक 12-08-2002
(ग)	जन्मतिथि		19-07-1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सीता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07-11-1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-07-2001/03-04-2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹	15,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	10306
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	91100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	27330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

988

8959

2001-2002

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, देवरिया

2. श्रीमती सीता गुप्ता पत्नी स्व० सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सहायक अभियन्ता, पता :- सनीव निरूपमा भवन प्लॉट नं० 103, बी-एरिया मिठापुर, ओपीपी होप हॉस्पिटल-पटना

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार देवरिया को प्रेषित पत्रांक 837 दिनांक 27.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मिलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० देवरिया कारपोरेशन

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

993

10335

04-05

उ०म०प्र०/ दिनांक

27.04.2019

कोषागार

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम वीर सिंह

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4400	दिनांक 26.03.2009
(ग)	जन्मतिथि		02.11.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उर्मिला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.12.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवाँ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000	
(घ)	वेतन		22,400
(ङ)	मूल पेंशन		25,991
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		5702
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		20289
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	14
(ख)	निर्धारित वेतन		1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		81,150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		78691
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		72100
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		78,691
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		78691
(ङ)	राशिकृत पेंशन		5702
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	72989 दिनांक 17.05.2024 तक तदुपरान्त	78691
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

993

10335

04-05

उ०म०प्र०/ दिनांक

27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा गौतमबुद्धनगर
- श्री ओमवीर सिंह, से०नि० अधिशाली अभियन्ता पता सेक्टर गामा आई-86, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पं० 838 दि० 29.04.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

27/04/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

994

10367

04-05

उ०म०प्र०/ दिनांक

27.04.2019

कोषागार

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शम्भू नाथ सिंह

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3141	दिनांक 23.06.2005
(ग)	जन्मतिथि		01.12.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्द्रावती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नही
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवाँ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000	ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन		20,000
(ङ)	मूल पेंशन		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नही
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13
(ख)	निर्धारित वेतन		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नही
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नही
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नही
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन		3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नही
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

994

10367

04-05

उ०म०प्र०/ दिनांक

27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर गोरखपुर

2 श्री शम्भू नाथ सिंह से०नि० सहायक अभियन्ता पता मोहल्ल लच्छापुर, गोरखनाथ मन्दिर गोरखपुर

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पं० 839 दि० 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

27/04/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 995 10374 04-05 उ०प्र०/ दिनांक 27.04.2019

कोषागार

सम्भल

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र सिंह

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3062	दिनांक 31.03.2005
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1946	
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती लक्ष्मी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		15.01.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवाँ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन		20,000
(ङ)	मूल पेंशन		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 13	
(ख)	निर्धारित वेतन		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन		3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 995 10374 04-05 उ०प्र०/ दिनांक 27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, चन्दौरी मुरादाबाद
- श्री राजेन्द्र सिंह से०नि० सहायक अभियन्ता, पता न्यू पावर हाउस कालोनी आईटीआई के सामने बदायूँ रोड चन्दौली मुरादाबाद को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार सम्भल को प्रेषित पं० 840 दि० 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

996

10370

04-05

उ०प्र० / दिनांक

27.04.2019

कोषागार

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

चेतन प्रकाश शर्मा

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3647	दिनांक 13.07.2006
(ग)	जन्मतिथि		04.09.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मंजू रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नही
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवौं वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000	ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन		20,000
(ङ)	मूल पेंशन		24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		4560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		19735
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नही
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13
(ख)	निर्धारित वेतन		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नही
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नही
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नही
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन		4560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		64990
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नही
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

996

10370

04-05

उ०प्र० / दिनांक

27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्री चेतन प्रकाश शर्मा, से०नि० सहायक अभियन्ता पता 220 महागुन स्टेट-द्वितीय प्लाट सं० 11-12 शालीमार गार्डन एकरू-प्रथम साहिबाबाद जिला जयपुर को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पं० 841 दि० 29.04.2019 के सापेक्ष समर्क

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

997

13482

2014-2015 उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
सम्मल।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र सं०-732 दिनांक-16.04.2019 को निरस्त करते हुए निर्गत।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मर्सरत हुसैन

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

6527 दिनांक 04.08.2014

(ग) जन्मतिथि

08.05.1954

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती शहनाज अख्तर

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.12.1954

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.05.2014

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे-8700

(घ) वेतन

₹

66020

(ङ) मूल पेंशन

₹

33010

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

13204

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

19806

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

33010/- दि० 07.05.2021 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

19806

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

12 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

170400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

85200

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

85200

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

13204

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

71996

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

85200/- दि० 07.05.2021 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

51120

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

997

13482

2014-2015 उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्राधिकार पत्र का कोषागार स्थानांतरित होने के कारण कोई भी भुगतान न किया जाये।

2. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-चन्द्रौसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, जनपद-सम्मल।

3. श्री मर्सरत हुसैन, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-हुसैनी रोड, हिन्दुपुरा खेड़ा, सम्मल, जिला-सम्मल-244302

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सम्मल को प्रेषित पत्रांक 842 दिनांक-29.04.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN. U32201UP1999SGC024928



पत्र सं0

998

13045

2012-2013

उ0म0प्र0/

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ।

पुनरीक्षित पी0पी0ओ सं0-8421 दिनांक-08.03.2019 के अतिक्रमण में निर्गत

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी

सेवानिवृत्त

वरिष्ठ कार्मिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
अधिकारी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ संख्या	6049	दिनांक 15.04.2013
(ग)	जन्मतिथि		12.01.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आशा चतुर्वेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		28.08.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-10000
(घ)	वेतन	₹	65360
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32680
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13072
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19608
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32680/- दि0 11.01.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19608
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		50 छमाहियां न्यूनतम 40
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	172200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	86100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	86100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13072
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	73028
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

998

13045

2012-2013

उ0म0प्र0/

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पता-म0नं0-19, द्वितीय तल, विक्टोरिया गार्डन, जेल चुंगी, मेरठ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 843 दिनांक-29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

999

6827

1992-1993

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मंजू तिवारी पत्नी स्व० हरीश चन्द्र सेवानिवृत्त निजी सचिव का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8926 दिनांक 03.07.1992
(ग)	जन्मतिथि	03.05.1934
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.03.1950
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.1992/25.04.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 ग्रेड-पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 4750
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(क)	निर्धारित वेतन	₹ 123100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

999

6827

1992-1993

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्रीमती मंजू तिवारी पत्नी स्व० हरीश चन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त निजी सचिव, पता-3, न्यू क्वार्टर्स मकबरा कम्पाउन्ड, हजरतगंज लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 844 दिनांक-29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

27/04/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1000

10462

2005-2006 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती इन्दु बाला श्रीवास्तव पत्नी स्व० सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
विजय कुमार श्रीवास्तव अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3335 दिनांक 06.12.2005

(ग) जन्मतिथि

01.10.1947

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती इन्दु बाला श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

14.01.1948

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.09.2005 / 06.11.2009

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

10650-15200 / 15600-39100 ग्रेड-पे-6600

(घ) वेतन

₹

15200

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

13830

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

11 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

91100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

45550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

27330

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1000

10462

2005-2006 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

2. श्रीमती इन्दु बाला श्रीवास्तव पत्नी स्व० विजय कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-98/61डी/3डी, ओम गायत्री नगर, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 845 दिनांक-29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

1001

10460

2005-2006

उ0म0प्र0 /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेश कुमार

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी0पी0ओ0 संख्या

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

1001

10460

2005-2006

उ0म0प्र0 /

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद।

2 श्री नरेश कुमार, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-5/132, (जीएफ-3), वैशाली, सैक्टर-5, गाजियाबाद-201001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 846 दिनांक-29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ0 प्र0 पा0 का0 लि0

राजिव भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1002

10442

2005-2006 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मुशतर जहाँ पत्नी स्व० मो० सेवानिवृत्त प्रशासनिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
यासीन अधिकारी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3175 दिनांक 26.07.2005
(ग)	जन्मतिथि	05.06.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मुशतर जहाँ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	26.04.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2005 / 05.09.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	8550-13500 / 9300-34800 ग्रेड-पे-5400 / 6600
(घ)	वेतन	₹ 14050
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9527
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	09 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 82600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 41300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24780
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1002

10442

2005-2006 उ०म०प्र०/

दिनांक-27.04.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती मुशतर जहाँ पत्नी स्व० मो० यासीन, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पता-477, मुसद अली लाइन, नई बस्ती, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 847 दिनांक-29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1003

10458

2005-2006

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुप्रिया चटर्जी

सेवानिवृत्त

प्रशासनिक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अधिकारी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

अधिवर्षता

3225 दिनांक 31.08.2005

09.07.1947

श्री गोबिन्दो दास चटर्जी

अंकित नहीं

31.07.2005

पांचवा वेतनमान

8550-13500/9300-34800 ग्रेड-पे-5400/6600

₹

13775

₹

15287

₹

2210

₹

13077

लागू नहीं

₹

6199

66 छमाहियां

09 तालिका नं०

80200

लागू नहीं

40100

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

40100

2210

37890

लागू नहीं

24060

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1003

10458

2005-2006

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्रीमती सुप्रिया चटर्जी, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पता-सी-88, सेक्टर-के, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 848 दिनांक-29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

27/04/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1004 10440 2005-2006 उ०म०प्र०/ दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विमला मिश्रा पत्नी स्व० गिरीश सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
चन्द्र मिश्रा अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3221 दिनांक 31.08.2005
(ग)	जन्मतिथि	16.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमला मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.02.1948
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2005/23.09.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	10650-15200/15600-39100 ग्रेड-पे-6600
(घ)	वेतन	₹ 15200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 91100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 45550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 27330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1004 10440 2005-2006 उ०म०प्र०/ दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।
- श्रीमती विमला मिश्रा पत्नी स्व० गिरीश चन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एन-16/15-1, विनायका बड़ी गैरी, बजरडीहा, वाराणसी-221109
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 849 दिनांक-29.04.2019 के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1005

10434

2005-2006

उ०म०प्र०/

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रियासत अली

सेवानिवृत्त

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3179 दिनांक 28.07.2005	
(ग)	जन्मतिथि		04.02.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती स्वालेहा अंजुम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.12.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(क)	निर्धारित वेतन	₹	139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1005

10434

2005-2006

उ०म०प्र०/

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।
2. श्री रियासत अली, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-नियर जीनियस कोथिंग, 56, डेलापीर, बरेली-243122
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक 850 दिनांक-29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

27/04/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 1006

10428

2005-2006 उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री युगल किशोर सिंह सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3246 दिनांक 22.09.2005

अधिवर्षता

(ग) जन्मतिथि

15.07.1947

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सुर्मिला सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2005

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000

(घ) वेतन

21400

(ङ) मूल पेंशन

24350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

4126

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

23224

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

6420

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

153000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

76500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

76500

(ङ) राशिकृत पेंशन

4126

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

72374

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

45900

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1006

10428

2005-2006

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।

2 श्री युगल किशोर सिंह, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-प्लोट नं-50, गणेश धाम कालोनी, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 851 दिनांक-29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

27/04/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1007 6090 86-87 उ०म०प्र०/ दिनांक 27.04.2019

कोषागार
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पंकज शाह

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6639	दिनांक 03.01.1989
(ग)	जन्मतिथि	22.10.1952	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू शाह	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.06.1950	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	24.07.1986	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
(घ)	वेतन	4,125	
(ङ)	मूल पेंशन	13,205	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	13205	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	7123	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	21 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 11	
(ख)	निर्धारित वेतन	76,200	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	38,100	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	12123	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	33850	
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	33,850	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	33850	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	33850	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	22860	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1007 6090 86-87 उ०म०प्र०/ दिनांक 27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
- श्री पंकज शाह से०नि० सहायक अभियन्ता, पता 16/501 ईस्ट इण्ड अपार्टमेंट मयूर विहार फेज-1, विस्तार दिल्ली को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पं० 852 दि० 29.04.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशाली अभियन्ता वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1008

10379

04-05

उ०प्र०/ दिनांक

27.04.2019

कोषागार

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राधा बल्लभ चौबे

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4100	दिनांक 13.11.2007
(ग)	जन्मतिथि	05.10.1946	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती लक्ष्मी देवी चौबे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		08.07.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवाँ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड पे 8700	
(घ)	वेतन		17,500
(ङ)	मूल पेंशन		23,050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		3442
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		19608
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 12	
(ख)	निर्धारित वेतन		1,34,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		67,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		67250
(ङ)	राशिकृत पेंशन		3442
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		63808
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1008

10379

04-05

उ०प्र०/ दिनांक

27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा आगरा

2 श्री राधा बल्लभ चौबे, से०नि० लेखाकार, पता 27, आदर्श नगर, सेरिया रोड आगरा

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार आगरा को प्रेषित पं० 853 दि० 29.04.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

सहायक लेखाधिकारी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1009 10366 04-05 उ०म०प्र०/ दिनांक 27.04.2019

कोषागार
बिजनौर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री स्वतंत्र भारत भूषण

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3076	दिनांक 13.04.2005
(ग)	जन्मतिथि		17.01.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवाँ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000	ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन		20,000
(ङ)	मूल पेंशन		23,807
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		2948
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		20859
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	13
(ख)	निर्धारित वेतन		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		67443
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		65550
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		67,443
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		67443
(ङ)	राशिकृत पेंशन		2948
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		64495
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1009 10366 04-05 उ०म०प्र०/ दिनांक 27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, धामपुर
- श्री स्वतंत्र भारत भूषण से०नि० सहायक अभियन्ता, मो० कलालान पो० नागीना, बिजनौर
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार बिजनौर को प्रेषित पं० 854 दि० 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

रजिस्ट्रार, कोषागार, बिजनौर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1010 10365 04-05 उ०प्र०/ दिनांक 27.04.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कैलाश पति पत्नी स्व० राज देव यादव अनुसचिव का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3061 दिनांक 31.03.2005
(ग)	जन्मतिथि	03.01.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कैलाश पति
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.02.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2005 / 03.11.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवाँ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	18,300
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 12
(ख)	निर्धारित वेतन	1,34,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	67,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1010 10365 04-05 उ०प्र०/ दिनांक 27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती कैलाशपति पत्नी स्व० राज देव यादव, अनुसचिव, पता ए-59, नारायण नगर, फैजाबाद रोड लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पं० 855 दि० 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पक

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1011 9141 02-03 उ०म०प्र०/ दिनांक 27.04.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रामावती पत्नी स्व० केदार नाथ

समीक्षा अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1834 दिनांक 25.05.2002
(ग)	जन्मतिथि	27.03.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रामावती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.12.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	20.10.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवाँ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-400-18300 / 37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	16,700
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 12
(ख)	निर्धारित वेतन	1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1011 9141 02-03 उ०म०प्र०/ दिनांक 27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती रामावती पत्नी स्व० केदार नाथ से०नि० समीक्षा अधिकारी, पता पेनी पुरवा रेंडुआ पलहरी, मुरादाबाद, मुरादाबाद बाराबेकी नवाबगंज को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पं० 856 दि० 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1012

8987

01-02

उ०म०प्र०/ दिनांक

27.04.2019

कोषागार

बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

कु० सरवत जमाल पुत्री स्व० मौ० अकबर
खान

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7326 दिनांक 15.12.2017
(ग)	जन्मतिथि	07.11.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	कु० सरवत जमाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.07.1972
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.1996 / 17.11.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवाँ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	8550-13500 / 15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	9,650
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	6393
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0 लागू नहीं
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 10
(ख)	निर्धारित वेतन	61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	31,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	18390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1012

8987

01-02

उ०म०प्र०/ दिनांक

27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर

2 कु० सरवत जमाल पुत्री मौ० अकबर, सहायक अभियन्ता पता गाँव इमलिया पो० नया गाँव तहसील व जिला बुलन्दशहर थाना कोतवाली देहात को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पं० 857 दि० 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION C/N-0322010P1999SGC024928



पत्र सं० 1013 10400 2005-2006 उ०म०प्र०/ दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,
सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्य प्रकाश बंसल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3147 दिनांक 30-06-2005
(ग)	जन्मतिथि	05-03-1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजुला बंसल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20-02-1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-03-2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000(8900)/37400-67000
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19735
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 64990
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1013 10400 2005-2006 उ०म०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
- श्री सत्य प्रकाश बंसल, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता पता :- सामने दुर्गा मन्दिर नवीन नगर सहारनपुर
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर को प्रेषित पत्रांक 858 दिनांक 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(Signature)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1015

13657

2014-2015

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजकुमार शर्मा

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6782 दिनांक 20-05-2015
(ग)	जन्मतिथि	10-07-1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रेखा शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01-07-1962
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 199600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 84400
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1015

13657

2014-2015

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्री राजकुमार शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता :- म०नं० 921, ग्राउन्ड फ्लोर निति खण्ड-प्रथम, इन्दिरापुरम, शिपरा सुन सिटी गाजियाबाद-201014।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 860 दिनांक 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1016 9977 2004-2005 उ०म०प्र० / दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,
नोएडा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम सिंह कादियान सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2732 दिनांक 20-08-2004
(ग)	जन्मतिथि	24-07-1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सावित्री कादियान
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04-01-1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 26521
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3940
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22581
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 78691
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 78691
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3940
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 74751
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1016 9977 2004-2005 उ०म०प्र० / दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिघर्मोचल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा
- श्री राम सिंह कादियान, सेवानिवृत्त उप महाप्रबन्धक, पता :- प्लैट सं० 802 सन टावर बी-1, शिप्रा सनसिटी इन्द्रापुरम, गाजियाबाद-201014।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार नोएडा को प्रेषित पत्रांक 861 दिनांक 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1017 13663 2014-2015 उ०म०प्र०/ दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हसीब अहमद

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6712 दिनांक 13-02-2015
(ग)	जन्मतिथि	10-11-1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कुदसिया खातून
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09-07-1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-11-2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 69,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13992
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20988
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 181500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 78691
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 90750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13992
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 76758
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54450
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1017 13663 2014-2015 उ०म०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री हसीब अहमद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सेक्टर-22/746, इंदिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 862 दिनांक 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० प्रकर का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1018 10394 2004-2005 उ०म०प्र०/ दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,
प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी स्व० देवेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि० पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5649 दिनांक 04-04-2012
(ग)	जन्मतिथि	01-07-1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कृष्णा सिंह (पत्नी)
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23-03-1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-06-2005/27-01-2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1018 10394 2004-2005 उ०म०प्र०/ दिनांक-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज

2. श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी स्व० देवेन्द्र सिंह, उपमहाप्रबन्धक, पता :-32ए/1, स्टेनली रोड, अपोजिट ब्लड बैंक, इलाहाबाद-211002

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 863 दिनांक 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं0

1019

10401

05-06

उ0म0प्र0 /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशरफ हुसैन

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	3102	दिनांक 09.05.2005
(ग)	जन्मतिथि		07.02.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती परवीन बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		21.04.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-500-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000	
(घ)	वेतन	₹	21900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3977
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23373
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं0	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	78800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3977
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	74823 पुर्नस्थापित 06.06.2020
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन का आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

1019

10401

05-06

उ0म0प्र0 /

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 श्री अशरफ हुसैन, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता अशफाक उल्लाह मार्ग, अमीनाबाद मूसा मण्डी, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 864 दिनांक 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पन्न

- 3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

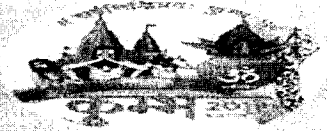


उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1020

10385

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार मुजफ्फरनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्यारा राम माही

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3197	दिनांक 11.08.2005
(ग)	जन्मतिथि		02.03.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		24.11.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		20.06.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-450-20000 / 37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹	18200
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3564
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20731
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3564
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	63936 पुर्नस्थापित 11.11.2020
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1020

10385

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर
- 2 श्री प्यारा राम माह, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता 369 ज्ञान लोक कॉलोनी, कनखल, हरिद्वार

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

मुजफ्फरनगर

को प्रेषित पत्रांक 865 दिनांक 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1021

10392

04-05

उ०म०प्र०/

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती बुला बोस

सेवानिवृत्त

प्रशासनिक
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3117	दिनांक 31.05.2005
(ग)	जन्मतिथि		15.01.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	8550-275-13500/15600-39100 ग्रेड पे 5400	
(घ)	वेतन	₹	13500
(ङ)	मूल पेंशन	₹	13863
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2180
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	11683
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	80,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	40000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	40000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2180
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	37820 पुनर्स्थापित 01.07.2020
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी/(पेंशन)

पत्र सं०

1021

10392

04-05

उ०म०प्र०/

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती बुला बोस, प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त, पता 17 एम०आई०जी०, शेखपुरा कालोनी, अलीगंज, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 866 दिनांक 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पक

- अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1022

10387

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विजय कुमारी पत्नी स्व० अमर सिंह सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3108 दिनांक 17.05.2005
(ग)	जन्मतिथि	30.10.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विजय कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.05.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2005/21.03.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-450-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 21350
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14476
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 73800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1022

10387

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा
2. श्रीमती विजय कुमारी पत्नी स्व० अमर सिंह, उपमहाप्रबन्धक (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता 187/2ए, राधा नगर, मथुरा बांगर, मथुरा-281004

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

मथुरा

को प्रेषित पत्रांक 867 दिनांक 29.04.2019 के सापेक्ष समर्क

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, राधा नगर, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1023

10413

05-06

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शान्ती सिंह पत्नी स्व० चतुरी सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3116 दिनांक 28.05.2005
(ग)	जन्मतिथि	07.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्ती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	06.10.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1023

10413

05-06

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी
- श्रीमती शान्ती सिंह पत्नी स्व० चतुरी सिंह, सहायक अभियन्ता (दिवंगत), पता डी०-59/378-के-2ए, जेपी मार्ग शिवपुरवा, वाराणसी।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक 868 दिनांक 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पक

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1035

7405

95-96

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्यारे लाल

सेवानिवृत्त

हेड जमादार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	30	दिनांक	19.01.1996
(ग)	जन्मतिथि			25.09.1935
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			5200-20200 ग्रेड पे 2600
(घ)	वेतन	₹		1550
(ङ)	मूल पेंशन	₹		5854 + 1171 (20प्रति०) अतिरिक्त 7025
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			7025
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		4 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		32,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		16700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		16700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		16700
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		01.01.16 से 20प्रति० अतिरिक्त 3340

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1035

7405

95-96

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री प्यारे लाल, हेड जमादार सेवानिवृत्त, भेड़ीवाली कोठी, शाहनजफ रोड, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 870 दिनांक 29.04.2019 के साथै सम्पर्क

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN- U32201UP1999SGC024928



पत्र सं0 1045 11993 2010-2011 उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक:-27.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक चन्दा

सेवानिवृत्त/
दिवंगत

अधिशाली
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	5348 दिनांक 12.07.2011
(ग)	जन्मतिथि	15.03.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उमा चन्द्र
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.07.1957
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 71720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0 1045 11993 2010-2011 उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद।

श्री अशोक चन्दा, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता:-आर-30, राजकुंज, राजनगर, गाजियाबाद।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषितपत्रांक 872 दिनांक 29.04.2019 के सापेक्षसम्पक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

निदेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ0प्र0 लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1048

13575

14-15

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण मुरारी लाल

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6646	दिनांक 27.11.2014
(ग)	जन्मतिथि		15.07.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्री रानी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹	68000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34000
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13600
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20400
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 34000 दि० 14.07.2021 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20400
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,75,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	87750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	87750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13600
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74150
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 87750 दि० 14.07.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52650
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1048

13575

14-15

उ०म०प्र० /

दिनांक-27.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर।
- श्री कृष्ण मुरारी लाल, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता मुहल्ला बसन्त पुर दक्षिणी घसियारीटोला, थाना राजघाट, गोरखपुर।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

गोरखपुर।

को प्रेषित पत्रांक 875 दिनांक 29.04.2019 के साथ सम्पर्क

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज मोहरोत्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1053 9101 2001-2002 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-29.04.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रविन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1781	दिनांक 10.04.2002
(ग)	जन्मतिथि		15.11.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गुरजीत कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.04.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹	19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3484
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23016
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72100
(च)	राशिकृत पेंशन	₹	3484
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	₹० 68616 दि० 09.07.2017 तक तदुपरान्त ₹० 72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1053 9101 2001-2002 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यॉवल, विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।

2. श्री रविन्द्र सिंह, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-ई-14 माडल टाउन, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली।

को प्रेषित पत्रांक 877 दिनांक: 29.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1054 6887 92-93 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-29.04.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अशा शर्मा पत्नी स्व० चन्द्र मोहन शर्मा सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8954 दिनांक 28.07.1992
(ग)	जन्मतिथि	21.01.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	28.03.1955
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	05.10.1991
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	1650-2690/5300-8600/9300-34800 ग्रेड पे-4200
(घ)	वेतन	₹ 2,240
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 3500
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 44
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 6
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 48,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 24000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 14400
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1054 6887 92-93 उ०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती अशा शर्मा पत्नी स्व० चन्द्र मोहन शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार, पता-सी-1513, इन्डियनगर सी ब्लॉक, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 878 दिनांक: 30.04.2019 के सापेक्ष सम्पक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1055 9107 2001-2002 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-29.04.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, सुलतानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री उमाकान्त पाण्डेय

सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1787 दिनांक 16.04.2002
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती तारा पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.10.1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2910
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21385
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2910
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 66640
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1055 9107 2001-2002 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सुलतानपुर।
- श्री उमाकान्त पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-2572, निराला नगर, करौदिया, सुलतानपुर उत्तर प्रदेश-228001।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सुलतानपुर।

को प्रेषित पत्रांक 879 दिनांक: 30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

29/04/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
सुलतानपुर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1056 10471 05-06 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-29.04.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सविता शर्मा पत्नी स्व० सुधीर कुमार सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक
शर्मा

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4080 दिनांक 18.09.2007
(ग)	जन्मतिथि	15.08.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सविता शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.10.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2005/07.04.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	21350-23975/63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 22,925
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10317
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 15
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1056 10471 05-06 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वन्विल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- श्रीमती सविता शर्मा पत्नी स्व० सुधीर कुमार शर्मा, सेवानिवृत्ति मुख्य महाप्रबन्धक, पता-बी० 36/43-10, ब्रम्हानन्द नगर कालोनी दुर्गाकुण्ड वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी।

को प्रेषित पत्रांक 880 दिनांक: 30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1057 10476 05-06 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-29.04.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, सोनमद्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमला चौबे पत्नी स्व० सच्चिदानन्द सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता चौबे

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3937 दिनांक 19.02.2007
(ग)	जन्मतिथि	02.08.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला चौबे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.11.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2005/10.10.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1057 10476 05-06 उ०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता जल विद्युत संयन्त्र खण्ड-प्रथम, ओबरा सोनमद्र।
- श्रीमती कमला चौबे पत्नी स्व० सच्चिदानन्द चौबे, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बिल्ली प्राइमरी स्कूल के सामने, ग्राम व पो० बिल्ली, सोनमद्र।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सोनमद्र।

को प्रेषित पत्रांक 881 दिनांक: 30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1058 4436 83-84 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-29.04.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अमर नाथ सिंह

सेवानिवृत्त

अधीक्षण
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8151 दिनांक 29.06.1999
(ग)	जन्मतिथि	27.10.1925
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1983
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	तृतीय वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	5000-6300/16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 5,150
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34013
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित रू० 34013
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 62
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 61578
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 65550
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 65550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 01.01.2016 से 40 प्रतिशत रू० 26220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1058 4436 83-84 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।

2 श्री अमर नाथ सिंह, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, पत्ता-5, खुशहाल पर्वत, गुरुद्वारा के पास, कल्याणी देवी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211003।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी।

को प्रेषित पत्रांक 882 दिनांक: 30.04.2019 के सापेक्ष सम्बन्धित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1059 10422 05-06 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-29.04.2019

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

कु० मुमताज जहाँ पुत्री स्व० मोहम्मद शब्बीर सेवानिवृत्त लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

पारिवारिक पेंशनर	
(क) पेंशन का प्रकार	3218 दिनांक 31.08.2005
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	16.07.1947
(ग) जन्मतिथि	कु० मुमताज जहाँ पुत्री
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	18.12.1986
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	31.07.2005/17.07.2016
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	पांचवा वेतनमान
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	
(घ) वेतन	₹ 20,000
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1059 10422 05-06 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. कु० मुमताज जहाँ पुत्री स्व० मोहम्मद शब्बीर, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-सी-22ए, आशीष नगर, गन्ने का पुरवा बिहाइन्ड आसरा हास्पिटल, विकास नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 883 दिनांक: 30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1060

6618

90-91

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-29.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती श्यामा सिंह पत्नी स्व० ए.पी.सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8590 दिनांक 20.09.1991
(ग)	जन्मतिथि	19.05.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती श्यामा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.09.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.01.1990
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	4250-5600 / 14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 5,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5541
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 36
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 12
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1060

6618

90-91

उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
2. श्रीमती श्यामा सिंह स्व० ए.पी.सिंह, सेवानिवृत्ति अधिशाली अभियन्ता, पता-ग्राम पोस्ट नैपुरा कला, नैपुरा खुर्द वाराणसी उत्तर प्रदेश-221011।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी।

को प्रेषित पत्रांक 884 दिनांक 30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

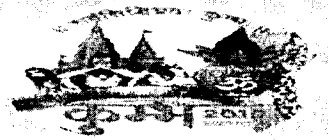
उ० म० प्र० का० लि०
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1061 9846 03-04 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-29.04.2019
कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती तेजरानी पत्नी स्व० हरिश्चन्द्र सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2491 दिनांक 30.01.2004
(ग)	जन्मतिथि	03.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती तेजरानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	29.03.1967
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	29.06.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	8550-13500/9300-34800 ग्रेड पे-5400/6600
(घ)	वेतन	₹ 8,825
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5985
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 53
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 10
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 56,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 28050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 16830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1061 9846 03-04 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती तेजरानी पत्नी स्व० हरिश्चन्द्र, सेवानिवृत्ति सहायक समीक्षा अधिकारी, पता-बी-50 गंगा विहार कालोनी चिनहट लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 885 दिनांक: 30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1062 10403 05-06 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-29.04.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, फतेहपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राज कुमारी लोधी पत्नी स्व० हरी लाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3095 दिनांक 02.05.2005
(ग)	जन्मतिथि	02.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राज कुमारी लोधी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2004 / 16.02.2018
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1062 10403 05-06 उ०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, फतेहपुर।

2. श्रीमती राज कुमारी लोधी पत्नी स्व० हरी लाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-मकान नु० 54, लोधी भवन, न्यून सिविल लाइन, आवन्ती बाई, चौहारा फतेहपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फतेहपुर।

को प्रेषित पत्रांक 886 दिनांक 30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1063

10431

2005-2006

उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती एन० लक्ष्मी राजयम पत्नी स्व० सेवानिवृत्त अधिशासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
नालाबाती राजेश्वर राव अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3193 दिनांक 05.08.2005
(ग)	जन्मतिथि	05.04.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती एन० लक्ष्मी राजयम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.04.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2005 / 27.12.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1063

10431

2005-2006

उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती एन० लक्ष्मी राजयम पत्नी स्व० नालाबाती राजेश्वर राव, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-4/37, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 887 दिनांक-30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

29/04/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1064

9099

2001-2002 उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विपिन कुमार

सेवानिवृत्त

अधिकासी

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1804 दिनांक 30.04.2002	
(ग)	जन्मतिथि		08.08.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुषमा अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.08.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	22087
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3682
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18405
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	61 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(क)	निर्धारित वेतन	₹	139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	64282
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	65550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	65550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3682
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	61868/- दि० 30.07.2017 तक तदुपरान्त 65550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1064

9099

2001-2002 उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री विपिन कुमार, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-फ्लैट नं-ए जी-04 जी एफ फ्लैट नं-1, सुपरटेक अवन्त ग्रेटर सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद-201012
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 888 दिनांक-30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

29/04/19

उ०प्र० सरकार का उपक्रम
लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1065

9347

2002-2003

उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सतीश चन्द्र जैन

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2483 दिनांक 20.01.2004
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कृष्णा जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.12.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4460
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22890
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4460
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 76690/- दि० 19.04.2019 तक तदुपरान्त 81150/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1065

9347

2002-2003

उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर।
2. श्री सतीश चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक पता-हाउस नं०-48, रेलवे रोड, भागीरथी कंज, रुड़की, हरिद्वार-247667
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुजफ्फरनगर को प्रेषित पत्रांक 889 दिनांक-30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

29/04/19
29/04/19



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं0

1067

10487

2005-2006

उ0म0प्र0 /

दिनांक-29.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री निम्बुल राम सोनकर

सेवानिवृत्त

मुख्य

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महाप्रबन्धक

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	4174 दिनांक 22.05.2008	
(ग)	जन्मतिथि		27.11.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अनारकली सोनकर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.07.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	21350-23975/63000-78000	
(घ)	वेतन	₹	22925
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30069
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6371
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23698
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं0	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	181800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	86769
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	85700
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	86769
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	86769
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6371
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	80398
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

1067

10487

2005-2006

उ0म0प्र0 /

दिनांक-29.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री निम्बुल राम सोनकर, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, पता-491/74ए/27सी, दलेल का पूरा, अल्लापुर, इलाहाबाद-211006 लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 891 दिनांक-30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

29/04/19

उ0 प्र0 पा0 सं0 लि0
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1068

10497

2005-2006 उ०म०प्र०/

दिनांक-29.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रघुनन्दन स्वरूप अग्रवाल सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3258 दिनांक 27.09.2005	
(ग)	जन्मतिथि		04.06.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पुष्पा अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(क)	निर्धारित वेतन	₹	139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1068

10497

2005-2006 उ०म०प्र०/

दिनांक-29.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री रघुनन्दन स्वरूप अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बी-1, अशोक नगर मार्केट, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 892 दिनांक-30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1069

11466

2008-2009 उ०म०प्र०/

दिनांक-29.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजकुमार चतुर्वेदी सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4459 दिनांक 09.06.2009	
(ग)	जन्मतिथि		16.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रजनी चतुर्वेदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.07.1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.01.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹	56930
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28465
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19245
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17079
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(क)	निर्धारित वेतन	₹	147000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	73500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	73500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	64280
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44100
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1069

11466

2008-2009 उ०म०प्र०/

दिनांक-29.04.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर।

2. श्री राजकुमार चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त लेखाकार पता-48/2, साईट नं०-1 कालोनी, किदवई नगर कानपुर-208011

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक 893 दिनांक-30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1070

9844

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जितेन्द्र प्रकाश अग्रवाल

सेवानिवृत्त

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2760 दिनांक 10.09.2004

(ग) जन्मतिथि

15.06.1945

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती उषा अग्रवाल

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

02.04.1945

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.2003

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900

(घ) वेतन

₹

20000

(ङ) मूल पेंशन

₹

24295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

3040

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

21255

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन

पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444

दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

139100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

69550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

69550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

3040

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

66510

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

41730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1070

9844

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।

2. श्री जितेन्द्र प्रकाश अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एच-5, वी०डी०ए० कालोनी, नैनीताल रोड, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक 894 दिनांक-30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

29/04/19
लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (वेतन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1071

9843

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ज्योति स्वरूप सक्सेना

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2613 दिनांक 01.05.2004

(ग) जन्मतिथि

25.01.1946

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सुधा सक्सेना

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

22.01.1949

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.01.2004

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000

(घ) वेतन

₹

22400

(ङ) मूल पेंशन

₹

27350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

4270

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

23080

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन

पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444

दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

162300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

81150

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

81150

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

4270

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

76880/- दि०-17.06.2019 तक तदुपरान्त 81150/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

48690

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1071

9843

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर।

2 श्री ज्योति स्वरूप सक्सेना, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-648, विकास नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रांक 895 दिनांक-30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

29/04/19
लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (वेतन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1072

9838

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री फूल चन्द्र सिंह यादव

सेवानिवृत्त

कार्यालय
सहायक-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन

पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444

दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

अधिवर्षता

2538 दिनांक 25.02.2004

20.11.1945

श्रीमती शान्ती यादव

30.12.1948

30.11.2003

पांचवा वेतनमान

8550-13500/9300-34800 ग्रेड पे-5400/6600

₹

10750

₹

12088

₹

1904

₹

10184

लागू नहीं

₹

7290

66 छमाहियां

09 तालिका नं०

₹

67200

लागू नहीं

₹

33600

₹

लागू नहीं

₹

लागू नहीं

₹

लागू नहीं

₹

33600

₹

1904

₹

31696/- दि० 07.04.2019 तक तदुपरान्त 33600/-

₹

₹

लागू नहीं

₹

20160

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1072

9838

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री फूल चन्द्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-द्वितीय, पता-ग्राम खरगपुर, सेक्टर-14, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 896 दिनांक-30.04.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN- U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1073

10424

2005-2006

उ०म०प्र० /

दिनांक-29.04.2019

कोषाधिकारी,

प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम दशरथ पाठक

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4234 दिनांक 15-09-2008
(ग)	जन्मतिथि	17-01-1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्ती पाठक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08-10-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-01-2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 26107
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 5740
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20367
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 77462
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 77462
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 5740
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 71722
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1073

10424

2005-2006

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज

2 श्री राम दशरथ पाठक, उपमहाप्रबन्धक, पता:- एम०आई०जी०-3, त्रिपाठी, चौराहा, ममफोर्डगंज, प्रयागराज।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 897 दिनांक 30.04.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण लेखाधिकारी (पेंशन) के द्वारा पुनरीक्षण के लिए प्रेषित करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1077 10781 2005-2006 उ०म०प्र०/ दिनांक: 30.04.2019

कोषाधिकारी,
लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती दुलारी देवी पत्नी स्व० शिवनाथ सेवानिवृत्त चपरासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि० पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3492 दिनांक 18-03-2006
(ग)	जन्मतिथि	15-07-1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती दुलारी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	27-08-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	13-08-2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	4200-6400 ग्रेड पे 2600
(घ)	वेतन	₹ 6,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6407
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	04 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 37600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 18800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 11280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1077 10781 2005-2006 उ०म०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती दुलारी देवी पत्नी स्व० शिवनाथ, चपरासी, पता :- 532क/156व पाण्डेय टोला मन्दिर अलीगंज लखनऊ
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 899 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1080

8199

1999-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक: 30.04.2019

कोषाधिकारी,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ईश्वर दत्त वर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	994	दिनांक 27-04-2000
(ग)	जन्मतिथि		14-11-1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती ऊषा वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		22-05-1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-11-1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	153000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1080

8199

1999-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2 श्री ईश्वर दत्त वर्मा, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता पता :-ए-69, लोहिया नगर, गाजियाबाद।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 900 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1081 10452 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश प्रसाद सिंह

सेवानिवृत्त /
दिवंगत

सहायक
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5928 दिनांक 26.12.2012
(ग)	जन्मतिथि	14.11.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनीता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 5 प्रतिशत की कटौती के बाद ₹ 21992/-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4332
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 17660
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 5 प्रतिशत की कटौती के बाद ₹ 66073/-
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 66073
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4332
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 61741
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1081 10452 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2 श्री जगदीश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता:-एम०आई०जी०-द्वितीय-ए०-29, ए०डी०ए० कालोनी, नैनी, प्रयागराज।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषितपत्रांक 901 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्षसम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1082 10418 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दीपांकर सूर	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	अधिशाली अभियन्ता,	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3158	दिनांक 15.07.2005
(ग)	जन्मतिथि		07.04.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुप्रिया सूर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		26.11.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23621
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3454
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20167
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		57 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	70084
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3454
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68646
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1082 10418 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री दीपांकर सूर, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता:-एन-348, सेक्टर-एन, आशियाना कालोनी, कानपुर, रोड, लखनऊ।
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषितपत्रांक 902 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्षसम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1084

10484

05-06

उ०म०प्र०/ दिनांक

30.04.2019

कोषागार

गोण्डा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गंगोत्री सिंह पत्नी स्व० फतेह बहादुर सिंह उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4079 दिनांक 18.09.2007
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गंगोत्री सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2005 / 26.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	(37400-67000) ग्रेड-पे 10000
(घ)	वेतन	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 14
(ख)	निर्धारित वेतन	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	81,150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1084

10484

05-06

उ०म०प्र०/ दिनांक

30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोण्डा
- श्रीमती गंगोत्री सिंह पत्नी स्व० फतेह बहादुर सिंह, उपमहाप्रबन्धक पता म०न० 12, मोहल्ला पटेल नगर, (दुखहरन नाथ मन्दिर के सामने) गोण्डा को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार गोण्डा को प्रेषित पं० 903 दि० 01.05.2019 के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1085

6657

91-92

उ०म०प्र०/ दिनांक

30.04.2019

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सायरा बेगम पत्नी स्व० अंसार
अहमद

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8752 दिनांक 25.01.1992
(ग)	जन्मतिथि	25.06.1933
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सायरा बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.10.1937
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1991 / 03.09.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	3400-4750 / 10650-15200 / 15600-39100 ग्रेड पे 6600
(घ)	वेतन	4,625
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	7222
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 11
(ख)	निर्धारित वेतन	83,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	24990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	20 प्रतिशत अतिरिक्त 4998 दिनांक 10.10.2017 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1085

6657

91-92

उ०म०प्र०/ दिनांक

30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्रीमती सायरा बेगम पत्नी स्व० अंसार अहमद अधिशाली अभियन्ता पता पलैट नं० 701, बी०एल०डी०जी० नं० 47 मुम्बई

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पं० 904 दि० 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1086 9836 03-04 उ०म०प्र०/ दिनांक 30.04.2019

कोषागार

मऊ नाथभंजन

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मो० अबुजर पुत्र स्व० मो० अकरम अंसारी सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5968 दिनांक 02.02.2013
(ग)	जन्मतिथि	01.08.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	मो० अबुजर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.09.1995
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	23.06.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 13
(ख)	निर्धारित वेतन	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730 दिनांक 09.09.2020 तक
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1086 9836 03-04 उ०म०प्र०/ दिनांक 30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मऊ नाथ भंजन मऊ
- श्री मो० अबुजर पुत्र स्व० मो० अकरम अंसारी, सहायक अभियन्ता पता म०न० 72ए रघुनाथपुरा (कल्याण सागर) मऊ नाथ भंजन मऊ को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार मऊ नाथभंजन को प्रेषित पं० 905 दि० 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

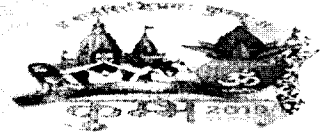


उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1089

9825

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शान्ती शरण सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2628

दिनांक

24.05.2004

(ग) जन्मतिथि

10.11.1945

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती मंजुल सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.11.2003

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे-8900

(घ) वेतन

₹

20000

(ङ) मूल पेंशन

₹

24295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

3040

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

21255

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

13890

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन

पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444

(क) दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

139100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

69550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

69550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

3040

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

66510/- दि०-26.07.2019 तक तदुपरान्त 69550/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

41730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1089

9825

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

2 श्री शान्ती शरण सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एम०आई०जी०-76, गोविन्द नगर, तेलियर गंज, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 908 दिनांक-01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।
(इलाहाबाद)

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

30/04/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1090

9848

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
फिरोजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती आशा तिवारी पत्नी स्व० नरेश सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
चन्द्र तिवारी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4194 दिनांक 25.06.2008
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.06.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2001 / 20.09.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	10650-15200 / 15600-39100 ग्रेड पे-6600
(घ)	वेतन	₹ 12275
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8325
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां

3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 76200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 38100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 22860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1090

9848

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, शिकोहाबाद।

2 श्रीमती आशा तिवारी पत्नी स्व० नरेश चन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-आलोक मैमोरियल स्कूल के पास, खरगजीत नगर, मैनपुरी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक 909 दिनांक-01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1091

9849

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कुमार गर्ग

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2672 दिनांक 08.07.2004

(ग) जन्मतिथि

02.12.1945

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती कुसुम गर्ग

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.06.1949

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.12.2003

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000

(घ) वेतन

₹

22400

(ङ) मूल पेंशन

₹

26500

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

4180

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

22320

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

15900

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन

पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444

दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

162300

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

81150

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

81150

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

4180

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

76970/- दि०-08.10.2019 तक तदुपरान्त 81150/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

48690

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1091

9849

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री कृष्ण कुमार गर्ग, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-20, मंगलम बिहार, सिकन्दरा, बोदला रोड, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक 910 दिनांक-01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1092

9850

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ज्ञान सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2669 दिनांक 30.06.2004

(ग) जन्मतिथि

01.01.1946

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती महारानी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

05.07.1953

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.12.2003

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900

(घ) वेतन

₹

20000

(ङ) मूल पेंशन

₹

24295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

3040

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

21255

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

139100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

69550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

69550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

3040

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

66510/- दि०-20.08.2019 तक तदुपरान्त 69550/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

41730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1092

9850

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़।

2. श्री ज्ञान सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-5/137 बी-10, गुलशन पार्क कालोनी, चर्च के पास, बन्ना देवी जी टी रोड, कोल, अलीगढ़-202001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 911 दिनांक-01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

1093

9824

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
शाहजहाँपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र कुमार वैश्य सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5534 दिनांक 10.03.2004	
(ग)	जन्मतिथि		13.12.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नीलम वैश्य
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		17.03.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-10000	
(घ)	वेतन	₹	22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24492
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3697
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20795
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15188
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	61 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	75003
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	75003
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	75003
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3697
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	71306/- दि० 14.04.2019 तक तदुपरान्त 75003/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1093

9824

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, शाहजहाँपुर।
- श्री राजेन्द्र कुमार वैश्य, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-मोदी कालोनी, रोशन गंज, शाहजहाँपुर-242001
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार शाहजहाँपुर को प्रेषित पत्रांक 912 दिनांक-01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (वेतन)

उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 1094 9822 2003-2004 उ०म०प्र०/ दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कामिनी श्रीवास्तव पत्नी स्व० सेवानिवृत्त वैयक्तिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सहायक

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	2482 दिनांक 19.01.2004
(ग) जन्मतिथि	29.06.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कामिनी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2003 / 15.01.2018
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड पे-6600
(घ) वेतन	₹ 13250
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8985
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 80900
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 40450
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24270
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1094 9822 2003-2004 उ०म०प्र०/ दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती कामिनी श्रीवास्तव पत्नी स्व० वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक, पता-538क/587/2क, त्रिवेणीनगर-तृतीय, निकट लायन्स राजधानी स्कूल, सीतापुर रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 913 दिनांक-01.05.2019 के साप्तेक सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

30/04/19
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

प्रतिष्ठित भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1095 9833 2003-2004 उ०म०प्र०/ दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
बलिया।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरिनारायण राय सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2877 दिनांक 18.11.2004	
(ग)	जन्मतिथि		01.11.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹	16700
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2385
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20665
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	130600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2385
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	62915
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1095 9833 2003-2004 उ०म०प्र०/ दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, बलिया।

2 श्री हरिनारायण राय, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-ग्राम व पोस्ट परसा, जिला गाजीपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बलिया को प्रेषित पत्रांक 914 दिनांक-01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 1096 9819 2003-2004 उ०म०प्र० / दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री लाल गिरीश प्रताप सिंह सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2579 दिनांक 29.03.2004	
(ग)	जन्मतिथि		15.01.946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उषा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.05.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-10000	
(घ)	वेतन	₹	22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4270
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23080
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4270
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76880/- दि० 30.04.2019 तक तदुपरान्त 81150/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1096 9819 2003-2004 उ०म०प्र० / दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री लाल गिरीश प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-सी-1/516, सेक्टर-जी, जानकीपुरम्, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 915 दिनांक-01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 1097

9815

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
अयोध्या (फैजाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुमद्रा देवी पत्नी स्व० अमरीक सेवानिवृत्त सिंह

सहायक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2982 दिनांक 31.01.2005

(ग) जन्मतिथि

अंकित नहीं

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सुमद्रा देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

02.01.1950

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.11.2003 / 19.05.2006

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे-8900

(घ) वेतन

20000

(ङ) मूल पेंशन

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

14730

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

-

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

139100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

69550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

41730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1097

9815

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, अयोध्या (फैजाबाद)।

2. श्रीमती सुमद्रा देवी पत्नी स्व० अमरीक सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०नं०-3/12/25, राजागली, अगूरीबाग अयोध्या (फैजाबाद)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अयोध्या को प्रेषित पत्रांक 916 दिनांक-01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें। (फैजाबाद)

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं0

1098

13183

2013-2014

उ0म0प्र0 /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री खलील उद्दीन कुरेशी

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
स्तर-द्वितीय

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी0पी0ओ0 संख्या

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन

पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444

(क) दि0 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

अधिवर्षता

6238 दिनांक 25.09.2013

23.08.1953

श्रीमती नसीम फरहत सिद्दीकी

05.10.1963

31.08.2013

छठा वेतनमान

37400-67000 ग्रेड पे-10000

77000

38500

15400

23100

38500/- दि0 22.08.2018 तक

23100

40 छमाहियां

14 तालिका नं0

199600

लागू नहीं

99800

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

99800

15400

84400

99800/- दि0 22.08.2020 तक

59880

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

1098

13183

2013-2014

उ0म0प्र0 /

दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2 श्री खलील उद्दीन कुरेशी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-537-एफ/027, शेरवानी नगर, सीता रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 917 दिनांक-01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1103

9857

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-30.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, मथुरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भगत सिंह राजपुत

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2584 दिनांक 08.04.2004	
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती वासमति देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.07.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	21350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2499
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18851
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 58
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	61120
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	65550
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	65550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2499
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	₹० 63051 दि० 27.05.2019 तक तदुपरान्त ₹० 65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1103

9857

03-04

उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा।
2. भगत सिंह राजपुत, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-50-सी, कृष्णा नगर चौराहा, राधा नगर, मथुरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मथुरा।

को प्रेषित पत्रांक 920 दिनांक: 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

30/04/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1104 10439 05-06 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-30.04.2019

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम प्रसाद-तृतीय सेवानिवृत्त चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3202 दिनांक 11.08.2005
(ग)	जन्मतिथि	14.07.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5300-8600/9300-34800 ग्रेड पे-4200
(घ)	वेतन	₹ 6,800
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 7583
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 1248
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 6335
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 6
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 43,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 21950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 21950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 1248
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ ₹० 20702 दि० 11.08.2020 तक तदुपरान्त ₹० 21950
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1104 10439 05-06 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री राम प्रसाद-तृतीय, सेवानिवृत्त चपरासी, पता-2अ/36जी, पिपराघाट मन्दिर मार्ग पो०- दिलकुश, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 921 दिनांक: 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

30/04/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1105

9855

03-02

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-30.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नाहर सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2587 दिनांक 13.04.2004	
(ग)	जन्मतिथि		11.02.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बलविंदर कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		29.02.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹० 66510 दि० 12.07.2019 तक तदुपरान्त 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1105

9855

03-02

उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-पथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
2. श्री नाहर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-7/2 चिरजीव विहार, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गाजियाबाद।

को प्रेषित पत्रांक 922 दिनांक: 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

30.04.19
लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 1106 9863 03-04 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज कुमार सिंह

सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अनिवार्य सेवानिवृत्ति
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5651 दिनांक 09.04.2012
(ग)	जन्मतिथि	04.12.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रभा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.05.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	22.04.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 21,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 7 प्रतिशत कटौती के पश्चात ₹ 24666
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 5818
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18848
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 64
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 74182
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 74182
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 7 प्रतिशत कटौती के पश्चात 68990
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 5818
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 63172
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1106 9863 03-04 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राज कुमार सिंह, सेवानिवृत्ति अधिशासी अभियन्ता, पता-सी-2233, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 923 दिनांक: 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

30/04/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1107 9978 04-05 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-30.04.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, बिजनौर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2665 दिनांक 29.06.2004
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती किरन पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.04.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ ₹० 66510 दि० 11.08.2019 तक तदुपरान्त ₹० 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1107 9978 04-05 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिरासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, बिजनौर।
- श्री राजेन्द्र पाण्डे, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-नं०-3 कृष्णा आश्रम, चौक ताड़ी खाना, कजरी सराय, मुरादाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बिजनौर।

को प्रेषित पत्रांक 924 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

30/04/19

उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1108 7094 93-94 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-30.04.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, सुलतानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रणविजय सिंह

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9342 दिनांक	15.07.1993
(ग)	जन्मतिथि		12.01.1934
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.1992
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		2225-3500/6500-11000/9300-34800 ग्रेड पे-4800
(घ)	वेतन	₹	2,825
(ङ)	मूल पेंशन	₹	20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन सहित ₹ 11856
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 61
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 8
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	58,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	29300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	27081
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	23800
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	27081
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	27081
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 5417 दि० 11.01.2019 तक तदुपरान्त 30 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 8125
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1108 7094 93-94 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सुलतानपुर।

2. श्री रणविजय सिंह, सेवानिवृत्ति लेखाकार, पता-916-सीताकुंड, सिविल कोर्ट के पीछे, सुलतानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सुलतानपुर।

को प्रेषित पत्रांक 925 दिनांक 01.05.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

30/04/19
शक्ति भवन, लखनऊ
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1109

9980

04-05

उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-30.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मीरा गुप्ता पत्नी स्व० नेमी चन्द्र सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता गुप्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3932 दिनांक 17.02.2007
(ग)	जन्मतिथि	30.07.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीरा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	31.07.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2004 / 19.01.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 59
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1109

9980

04-05

उ०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- श्रीमती मीरा गुप्ता पत्नी स्व० नेमी चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्ति अधिशासी अभियन्ता, पता-जी-1, सूर्य अपार्टमेंट लायर्स कालोनी, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा।

को प्रेषित पत्रांक 926 दिनांक: 01.05.2019 के सापेक्ष संपूर्ण कार्यवाही के भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पा० का० लि०
अधिकांशकृत, लखनऊ
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1110 9990 04-05 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-30.04.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० राम लाल सेवानिवृत्त उप महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2661 दिनांक 25.06.2004
(ग)	जन्मतिथि	02.09.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उर्मिला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.10.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	22.04.2002/16.12.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 21,350
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14476
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 59
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 73800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1110 9990 04-05 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० राम लाल, सेवानिवृत्ति उप महाप्रबन्धक, पता-बी-1/85, एल०डी०ए० कालौनी कानपुर रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 927 दिनांक: 01.05.2019 के सापेक्ष (संशोधित वेतन) भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

30/04/19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1111 9998 04-05 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, सुलतानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरि शरण

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2799 दिनांक 30.09.2004
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रभा श्रीवास्तवा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ ₹० 66510 दि० 14.11.2019 तक तदुपरान्त ₹० 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1111 9998 04-05 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सुलतानपुर।

2 श्री हरि शरण, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-निवास 589, रुद्र नगर, सुलतानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सुलतानपुर।

को प्रेषित पत्रांक 928 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्ष समस्त उपर्युक्त कार्य भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

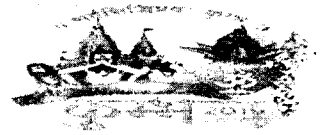
30/04/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

1112

9909

03-04

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लाल जी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3512	दिनांक	31.03.2006
(ग)	जन्मतिथि			05.07.1937
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सावित्री सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			25.05.1941
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600 / 14300-18300 / 37400-67000	ग्रेड पे	8700
(घ)	वेतन	₹		5450
(ङ)	मूल पेंशन	₹		23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		1006
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22044
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		1006
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		60544 पुनर्स्थापित 31.06.2021
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1112

9909

03-04

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी
- श्री लाल जी सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता श्री सीताराम गवन, लोहिया नगर कालोनी, विकास पोलटरी फार्म, पो० सारनाथ, वाराणसी शहर, वाराणसी

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 929 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कार० लि०, शक्ति गवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

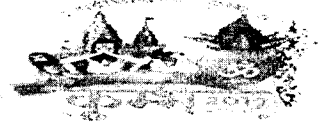
उ० प्र० पा० कार० लि०
शक्ति गवन, लखनऊ



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

1113

9908

03-04

उ0म0प्र0 /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमला गुप्ता पत्नी स्व0 जे0पी0 गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन		
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या	2742	दिनांक	31.08.2004
(ग) जन्मतिथि			01.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कमला गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20.12.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2003 / 08.12.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पॉचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	₹		20000
(ङ) मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं0
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		69550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)/(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		41730
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

1113

9908

03-04

उ0म0प्र0 /

दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि0, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज
- श्रीमती कमला गुप्ता पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता मकान नं0 219/64बी/3, आलोपी बाग, प्रयागराज

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 930 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
लखनऊ



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

1114

8674

2000-01

उ0म0प्र0 /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी0पी0ओ0 संख्या

1522

दिनांक

21.08.2001

(ग) जन्मतिथि

04.10.1942

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती मंजू गुप्ता

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अकित नहीं

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.10.2000

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पॉचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900

(घ) वेतन

₹

20000

(ङ) मूल पेंशन

₹

24295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

3454

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

20841

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

57 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं0

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,39,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

69550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

60066

(ग) शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

65550

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

65550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

3454

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

62096

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

41730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

1114

8674

2000-01

उ0म0प्र0 /

दिनांक-30.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि0, गोविन्दनगर, कानपुर

2. श्री तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता 113/7ए, स्वरूप नगर, कानपुर

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक 931 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पन्न

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1116

9932

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी,

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कैलाश नाथ गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2932	दिनांक 14-12-2004
(ग)	जन्मतिथि		02-03-1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बीना गुप्ता (पत्नी)
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		28-01-1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-03-2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		14300-18300/37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	17,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2756
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20294
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	134500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2756
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 64494/- पुनर्स्थापित दिनांक 11.01.2020
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1116

9932

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री कैलाश नाथ गुप्ता सेवानिवृत्ति सहायक लेखाधिकारी, पता :- एच०आई०जी० 71/1 टिकैत राय, एल०डी०ए० कालोनी, मोहन रोड, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 933 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पूण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1117 9937 2004-2005 उ०म०प्र० / दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी,
गजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्याम सुन्दर गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2855 दिनांक 30-10-2004
(ग)	जन्मतिथि	15-07-1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा गर्ग (पत्नी)
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15-01-1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ₹0 66510/- पुनर्स्थापित दिनांक 30.01.2020
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1117 9937 2004-2005 उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गजियाबाद

2. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :- 4/39, सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 934 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1118

9920

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी,

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री इम्तियाज अहमद खाँ

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2768 दिनांक 15-09-2004
(ग)	जन्मतिथि	10-10-1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रफत खाँ (पत्नी)
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-10-2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 17,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2539
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20511
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 134500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 65212
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 61550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65212
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2539
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ ₹0 62673/- पुर्नस्थापित दिनांक 07.10.2019
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1118

9920

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓

अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2

श्री इम्तियाज अहमद खाँ, सेवानिवृत्ति सहायक लेखाधिकारी, पता :- 161, चौक रोड, निकट महमूद नगर पार्क, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 935 दिनांक 01.05.2019 को सूचित कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 1119 9913 2004-2005 उ०म०प्र०/ दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी,
बाराबंकी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी स्व० द्वारिका प्रसाद सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि० पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2839 दिनांक 29-10-2004
(ग)	जन्मतिथि	05-12-1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04-03-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-12-2003/06-09-2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 139100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 1119 9913 2004-2005 उ०म०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वाञ्चल विद्युत विरतण निगम लि०, बाराबंकी।
- श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी स्व० द्वारिका प्रसाद, सेवानिवृत्ति अधिशासी अभियन्ता पता :- म०नं० ई०-2141, राजाजीपुरम, तालकटोरा, लखनऊ।
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बाराबंकी को प्रेषित पत्रांक 936 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1120

9914

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-30.04.2019

कोषाधिकारी,

प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण मोहन गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2984 दिनांक 24-01-2005
(ग)	जन्मतिथि	02-04-1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12-05-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-04-2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4000
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4000
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 77150
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1120

9914

2004-2005

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2 श्री कृष्ण मोहन गुप्ता सेवानिवृत्ति अधिकासी अभियन्ता पता - 1101 बाघबरी रोड बजरंगनगर, मुल्लापुर, प्रयागराज।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह
स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

प्रयागराज

को प्रेषित पत्रांक 937 दिनांक 01.05.2019 के सापेक्ष सम्पर्क

3 अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)